The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2012 - Contd...

MR. CHAIRMAN: Now we resume our discussion on the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2012. Shri Shivanand Tiwari.

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

श्री नरेश अग्रवाल: सर, इसे अब कल करेंगे। ...**(व्यवधान)**... इसे अब कल सुबह करेंगे। ...**(व्यवधान)**... सर, कल करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: श्री शिवानन्द तिवारी जी। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, इसे कल करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, I request you all to resume your seats. You take your seats. We can consider the suggestion. It is up to the Government to react. The Chair is neutral. I have called Shivanand Tiwariji. आप लोग बैठिए। Please take your seats ...*(Interruptions)*... Those who are standing please take your seats ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश): सर, होम मिनिस्टर साहब को बुलाइए। ...**(व्यवधान)**...

† **جناب محمد ادیب** : سر، ہوم منسٹر صاحب کو بلائیے ---(مداخلت)---

श्री उपसभापति: क्या?

श्री मोहम्मद अदीब: सर, यहां पर होम मिनिस्टर साहब नहीं हैं।

† **جناب محمد ادیب** : سر، یہاں پر ہوم منسٹر صاحب نہیں ہیں۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Where is Home Minister? Yes; Minister of State for Home Affairs is here. So many Cabinets Ministers are here. And, Minister of State for Home Affairs is here. That is enough. It is a collective responsibility.

श्री शिवानन्द तिवारी: उपसभापति महोदय, जब भी कोई बड़ा कानून बनता है, तो मेरे जैसे आदमी के मन में घबराहट होती है। हमने देखा है कि इस देश में कड़े कानूनों का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा हुआ है। हमारे यहां बिहार से बगैर कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए, वहां के नौजवानों को पकड़ कर लाया गया। मैंने इसी सदन में यह सवाल जीरो ऑवर में उठाया था। महोदय, चाहे "पोटा" हो, चाहे "मीसा" हो, चाहे "डीआईआर" हो और चाहे "मकोका" हो, हमने सभी कानूनों का दुरुपयोग होते देखा है। मेरे ज़हन में यह सवाल उठता है कि क्या कानून बनाकर, हम आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या का समाधान कर सकते

†Transliteration in Urdu Script.

[श्री शिवानन्द तिवारी]

हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कानूनों का गलत इस्तेमाल होता है तो उससे आतंकवाद रुकता नहीं है, बल्कि आतंकवाद को खाद व पानी मिलता है।

महोदय, मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ा था कि 1995 या 96 में दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक कार ब्लास्ट हुआ था और उसमें कई लोग मरे थे। उस मामले में कश्मीर का एक नौजवान पकड़ा गया था। उस नौजवान को इस सबूत के आधार पर पकड़ा गया था कि उसके घर में उस मारुति कार का टायर मिला था। इसी कारण उसको उस विस्फोट के मामले में गिरतफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। वह नौजवान 14 वर्ष तक जेल में रहा। उसके बाद यह जानकारी मिली कि वह जो टायर मिला था, वह तो उस गाड़ी का था ही नहीं। उस गाड़ी के मालिक ने यह बयान दिया कि पुलिस ने उससे कभी भी पूछताछ नहीं की कि यह टायर मेरी गाड़ी का है या नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि समाज के जिस हिस्से में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, बगैर उसके सहयोग, बगैर उसकी गुडविल हासिल किए, क्या हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं? इतनी बड़ी आबादी है और उस आबादी के मन में इस बात का गुस्सा है कि हमारे बेकुसूर नौजवानों को बरसों तक जेल में रखा जाता है। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उनका भविष्य समाप्त हो जाता है। ऐसे नौजवानों को सरकार किसी भी तरह से कम्पनसेट नहीं करती है। उनके चरित्र के ऊपर भी धब्बा लगता है। हैदराबाद में, चारमीनार मस्जिद में विस्फोट हुआ था। हमें याद है कि उस मामले में इंफोसिस में नौकरी करने वाले एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी। कोई प्रमाण नहीं मिला था, इसलिए अदालत ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। मैंने उसका बयान पढ़ा था। उसने कहा था कि समाज में कोई भी हमें बिठाने के लिए तैयार नहीं है, मैं जेल में था, तो हमारे नाते-रिश्तेदारों तक ने हमें छोड़ दिया था। आप यह बताइए कि हमारे समाज का जो इतना बड़ा हिस्सा है, जब तक हम उसका भरोसा नहीं हासिल करेंगे, उसकी गुडविल हासिल नहीं करेंगे, तब इस तरह का कानून बनाने का क्या मतलब है? क्या आप समझते हैं कि इस देश का एक समुदाय पूरा का पूरा आतंकवादी है? अगर आपकी यह मान्यता है तो गलत है, क्योंकि अधिकांश आदमी आतंकवाद की निन्दा करते हैं। उन्होंने बार-बार, इसके बारे में सार्वजनिक रूप से भी बयान दिये हैं, इसको लेकर सार्वजनिक रूप से भी धरना भी दिया है, तब कुछ लड़के, जिनका अगर किन्हीं कारणों से आतंकवाद की तरफ झुकाव होता है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आतंकवाद की खाद-बीज हम लोगों से मिलती है, क्योंकि हम उनको इंसाफ नहीं दिलाते हैं। उनको लगता है, उनके अंदर इस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारा हक हमें नहीं मिल रहा है।

उपसभापति जी, आप देखिए कि इस देश में आजादी के बाद जितने भी दंगे हुए हैं, उनके लिए न्यायिक आयोग बिठाए गए हैं, लेकिन आयोग की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने बिहार में देखा है, हमने रांची का दंगा, जमशेदपुर का दंगा देखा है। उनके लिए न्यायिक आयोग बना, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, मुम्बई में श्रीकृष्णा आयोग बना, उसने रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो लोग दंगों में मारे जाते हैं, जिनकी सम्पत्ति लूटी जाती है, अगर उनके मन में यह भाव पैदा होता है कि हम तो देश के दो नम्बर के नागरिक हैं, तो उनके नौजवानों के मन में गुस्सा पैदा होता है कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारी हत्या होती है, हमारी सम्पत्ति लूटी जाती है, लेकिन हत्यारे के खिलाफ और लूटने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। इससे उनके मन में गुस्सा पैदा होता है और यही सब आतंकवाद को पैदा करने के लिए खाद और पानी का काम करता है। आप अमरीका नहीं हैं, आप यूरोप नहीं हैं, क्योंकि अमरीका एफ.बी.आई. पर जितना खर्च करता है, हम अपनी नेशनल डिफेंस पर भी उतना खर्च नहीं करते हैं। उसके पास जिस तरह के साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, उसमें तो हम लोग उसके पासंग के भी बराबर नहीं हैं। इसलिए अमरीका और यूरोप के तर्क पर सिर्फ पुलिस के सहारे हम लोग आतंकवाद का सामना नहीं कर सकते हैं, आतंकवाद का दमन नहीं कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि समाज के जिस हिस्से से भी आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, उनको उस समाज का भरोसा हासिल करवाइए। जब उनके मन में यह भरोसा होगा कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, इस बात पर भरोसा होगा कि इस मुल्क में हमको हमारा हक मिल रहा है, तब वे भी अपने समाज के अंदर, जो सिरफिरे लोग हैं, सिरफिरे नौजवान हैं, उनको आइसोलेट करेंगे, उनसे किनारा करेंगे, वरना आप इस तरीके से आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कि देश में किस तरह का भेदभाव है। कुछ लोग मांग करते हैं कि साहब, उसको सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सज़ा हो गई है, इसलिए फलाने को फांसी दो। हम जानना चाहते हैं कि पंजाब में एक मुख्य मंत्री मारे गए थे, उसमें जो अभियुक्त था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिली, लेकिन उसके बारे में नहीं कहा जाता है कि उसको फांसी दो। उसको फांसी नहीं मिले, इसके लिए देश की एक विधान सभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करती है, यदि उस पर हंगामा नहीं होता है, तो यह भी एक भेदभाव की मानसिकता है। यह इस बात को साबित करती है कि हम किस तरह का नजरिया रखते हैं। हमें याद है कि जब पंजाब की विधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ था, तो उस समय उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया था। उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि यदि कश्मीर की विधानसभा इस तरह का प्रस्ताव पास करती तो देश में भूचाल आ जाता। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: तिवारी जी, आपके दो मिनट ज्यादा हो गए हैं।

श्री शिवानन्द तिवारी: आजादी के बाद से जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उस संदर्भ में हम यह कहना चाहते हैं कि इस देश में आजादी का इतिहास कायदे से नहीं लिखा गया। इस देश का हिंदू आज भी यह मानता है कि देश का जो बंटवारा हुआ, वह बंटवारा

[श्री शिवानन्द तिवारी]

मुसलमानों ने किया। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैंने इस समस्या को समझने के लिए बंटवारे का इतिहास पढ़ा, इस देश का इतिहास पढ़ा और देखा कि हमारे जो पुरखे थे, जिनका बहुत नाम रहा है, जिनको हम बहुत इज्जत की नज़रों से देखते हैं, उन लोगों की ओर से भी गलतियां हुई हैं।

हमने इस सदन में बताया था कि किस तरह से 1937 में घटना हुई थी, किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक में 1916 में पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट को नहीं माना गया। 1935 में नहीं माना गया। उसके पहले जब नेहरू कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को नहीं माना गया। उस रिपोर्ट के पहले यहीं मोती लाल नेहरू जी ने सवाल उठाया था कि अगर मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ दें, तो हिन्दू और मुसलमानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। हमको याद है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली में मुस्लिम नेताओं की ...(समय की घंटी)... बस, दो मिनट में खत्म कर रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना ने मीटिंग बुलाई और उसमें प्रस्ताव पास किया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह हुआ और देखिए कि किस ढंग से उनके साथ धोखा किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ने वाली बात मान ली गई, लेकिन उन्होंने जो डिमांड की थी कि जहां हम माइनॉरिटी में हैं, वहां व्हेटेज मिलनी चाहिए, उसको एक प्रस्ताव से निकाल दिया गया। एक बार नहीं, अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप अकेले कानून बना कर इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में जो सही इतिहास है, उसको स्कूल में पढ़ाइए, उसको कॉलेज में पढ़ाइए। सिर्फ इसको पढ़ाने और बताने से काम नहीं चलेगा कि फलानी जगह मूर्ति तोड़ी गई, फलानी जगह मन्दिर तोड़ा गया। मूर्ति टूटी है, मन्दिर टूटा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, उनको आज हम करेक्ट करना चाहेंगे, तो यह सम्भव नहीं है। अगर दुनिया इसी ढंग से इतिहास की गलतियों को ठीक करने लगेगी, तो दुनिया में उथल-पुथल मचेगी, अशांति मचेगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री शिवानन्द तिवारी: इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो यह कानून बनाया है, क्या नमूना दिया है? आपने दो साल के बदले पांच साल के लिए संगठनों पर पाबन्दी लगाने की बात की है। क्या तर्क दिया है आपने? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचेगी? राजीव जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने 1967 की चर्चा की। हमने उस बहस को देखा है। हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने दो वर्ष को एक वर्ष करने का प्रस्ताव दिया था। आप इस सम्बन्ध में कृपलानी का भाषण पढ़िए, नागपाई का भाषण पढ़िए, उसमें ह्यूमैन राइट्स के सवाल को उठाया गया था। आपने कहा कि अगर यह पांच साल हो जाएगा, तो हमें सबूत इकट्ठा करने में सुविधा मिलेगी। जो 760 दिनों में सबूत इकट्ठा नहीं कर सकता है, उसको आप पांच साल क्या, पचास साल का समय दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आपने कहा कि जो टेररिस्ट की मदद करेगा, फाइनेंशियली मदद करेगा...

श्री उपसभापति: 6 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं। आप खत्म कीजिए।

श्री शिवानन्द तिवारी: मैं खत्म कर रहा हूं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर कोई लड़का टेररिज्म के मामले में गिरफ्तार होता है और उसके परिवार के लोग, उसे दोस्त समझते हैं कि वह नाजायज पकड़ा गया है और उसकी पैरवी के लिए वे पैसा जमा करते हैं, तो क्या आप मानेंगे कि वे टेररिस्त की मदद कर रहे हैं? जो मदद करने वाले लोग हैं, क्या आप उनको जेल में बंद कीजिएगा? ...(समय की घंटी)... उसी तरह से, जिस तरह से...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tiwariji, please conclude. You have taken double the time. आपने डबल टाइम ले लिया है। Please conclude.

श्री शिवानन्द तिवारी: आपने कहा कि इस तरह का भी जो संगठन होगा...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री शिवानन्द तिवारी: हम उस पर भी पाबंदी लगा सकते हैं। यह बिल्कुल गलत है। यह जो आपकी धारणा है, आपकी एप्रोच है कि हम कानून बना कर आतंकवाद को रोकेंगे, वह एप्रोच गलत है। आप समाज को विश्वास में लीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tiwariji, please conclude. You have taken double the time. आपने डबल टाइम लिया है। Please conclude.

श्री शिवानन्द तिवारी: उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, भेदभाव हो रहा है। इस भावना को निकालिए, तब आप आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। चाहे कितना भी कड़ा कानून बना दीजिए, जब तक समाज में एहसास पैदा नहीं होगा कि हमको इंसाफ मिल रहा है, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसको वापस लीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Instead of six minutes, you have taken thirteen minutes. Now, Shri D. Bandyopadhyay. ...*(Interruptions)*...

If you don't stick to time, we cannot pass this Bill. ...*(Interruptions)*... I was very liberal to Tiwariji. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, I am repeating. I said that I feel diffident speaking after Mr. Shivanand Tiwari. He is such a born orator and I am not an orator at all.

Sir, I stand here to support the Bill, but I have some reservations and concerns which I want to convey to the Government through you. Sir, our Constitution defines that India is a sovereign, socialist, secular, democratic

[Shri D. Bandyopadhyay]

Republic. Sir, we have already finished up 'socialism' by our neo-liberal economic policy. There is hardly any socialism left. Now, are we going to strike at the root of secularism by bringing in a draconian law to be used most unfortunately against a particular community? That is what I am afraid of. Terrorists don't have any religion. But some people think that a particular community contributes to terrorism, and with that mindset, we always used this draconian law against that particular community. We did so earlier. I hope it will not be done in future. If we do so, secularism will go, and if we have such draconian laws, our democratic fabric will also be gone. So, while trying to support and fortify democracy, we may not, I hope, destroy the basic democratic freedom, the freedom of speech and freedom of association.

Sir, I have two-three small points to make. I do believe that the political security cannot be secured without the economic security. But, to bring in the economic security, which includes an entire gamut of economic activities, I think, we are going a little too far. We should not include everything. I can understand counterfeiting of money. I can understand smuggling. But the gamut of economic activities, if we bring in economic security and make that a part of the Bill for protection of unlawful activities, I think, we are getting a little too far which may jeopardize our economic development.

Now, let us come to the point of 'association of people.' This is something which, I think, is rather too wide because for association of people, we will have to amend the original Act to include the definition of 'person', which, ultimately, comes to a 'group of people.' Now, in West Bengal, we have got Sarbojinin in *Durgotsava,* a community pooja. For every pooja, there is a Committee. They raise funds. If someone from the Pooja Committee goes somewhere else and does something unlawful the entire Committee will be held responsible. Therefore, Sir, we should very particular that such a wide definition may cause more harm than what we are trying to control.

I have nothing more to say. I say this much that laws will not curb terrorism. We had POTA; we had TADA; before that, we had MISA. We had so many Acts. But the terrorism continued. Naxalism is flourishing and nothing has happened. What is required, Sir, is deep intelligence, which we lack. The police should be sensitized to get into the intelligence much more intensely than what we are doing now. So, it is more intelligence, rather than draconian laws, which will protect our democracy. With these words, Sir, I support the Bill.

श्री उपसभापति: नरेश जी, अब श्रीमती गुन्डु सुधारानी बोलेंगी, उनको flight catch करनी है। श्रीमती गुन्डु सुधारानी।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मुझे एक बात कहनी है, आप हाऊस जरूर चलाएं, लेकिन अभी-भी 12-13 स्पीकर बचे हुए हैं ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: नहीं, अभी 16 स्पीकर और हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, पौने छ: बज रहे हैं, अब आप देख लें। यह आपके ऊपर है, आप जैसा निर्देश करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What does the Government say? The Parliamentary Affairs Minister ...*(Interruptions)*... I am doing it. Why do you want to trouble? ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, kindly convey this to the Government. The House would be meeting tomorrow. So, after the hon. Member's speech ...*(Interruptions)*... It would not take less than two hours for completion of the speech and then voting. But, I leave it to the Chair ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Parliamentary Affairs Minister come. Now, Shrimati Gundu Sudharani, you may speak. Kindly take only three-four minutes.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Andhra Pradesh): Sir, I welcome the Bill, but there are some fundamental questions which need to be clarified first. It is good that the Government has brought this Bill to make changes to comply with the core recommendations of 'the Financial Action Task Force. There are 49 recommendations. Out of them, 14 are rated as key and core recommendations and, out of these 14 core recommendations, we need to comply with only eight recommendations, while the FATF itself has admitted that we have complied with as many as 29 key and core recommendations. As per the Home Ministry, the Unlawful Activities Act and the anti-terrorist regime in India are comprehensive and, basically, all the concerns of the FATF stand addressed. So, on the one hand, you are saying clearly that the Indian laws are core-FATF compliant, on the other, you are bringing this Bill before the House for its consideration. So, does it mean that the Home Ministry's view is not true? If it is true, where is the need for this legislation? I would request the hon. Minister to kindly explain the same.

[Shrimati Gundu Sudharani]

Secondly, Sir, we have been inducted as the 34th country of FATF. The primary objective of FATF is to stop illegitimate transfer of money. I would like to know how we will have access to information on terror financing and black money stashed away by Indians in Switzerland, US, UK and in other tax haven countries. How will our tax enforcement agencies like the Financial Intelligence Unit, the Enforcement Directorate, the Central Economic Intelligence Bureau, Directorate of Revenue Intelligence, etc. would be able to exchange vital information from member countries on money-laundering, black money and terrorist financing activities?

Thirdly, Sir, the Ministry has taken the definition under Clause 2 of 'person', which includes 'an association of persons or a body of individuals', from the Prevention of Money Laundering Act where the conditions and circumstances are different whereas the Unlawful Activities Act relates to terrorist activities. I strongly apprehend that associations such as labour unions, club associations, football associations, etc., would also be covered under this Clause. This gives elbowroom to the investigating officer and leaves scope for harassment of innocent persons. The Standing Committee on Home Affairs which scrutinized this Bill had raised this issue in the Committee as well. I don't know whether there is any official amendment to this Clause. If it is not there, I strongly plead with the hon. Minister to amend this so as to provide safeguards to labour unions, etc. Without safeguards to labour unions, trade unions, etc., wrong people are 'harassed and punished. Hence, I request the hon. Minister to ponder over this and move an amendment to this extent.

The fourth point I wish to make is, you are proposing to amend Section 15 of the parent Act which deals with terrorist activities. I welcome your proposal to treat circulation and trading of counterfeit currency notes as an act of terrorism. In the proposed Bill, as per sub-clause 4(ii), "whoever does an act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, safety and sovereignty of India with high quality counterfeit currency will be punished". Does it mean that those who threaten the unity and integrity of the country, only with high quality counterfeit currency, are liable for punishment and circulation, while trading of low quality counterfeit notes is not punishable or exempted from punishment? What does the Government want to convey through this Clause? Kindly let us know.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Your time is over.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI: Sir, I would make just one more point.

Sir, currently, no Government body, including the CVC, has powers to check corruption by private firms and corporate bodies. ...*(Interruptions)*... Recently, SEBI has rejected a proposal for an anti-corruption watchdog for the private sector. Here, the Ministry has proposed, under Clauses 22A and 22B, that if a company, trust or society commits an offence of terror financing, it is punishable. But, what about corruption in the private sector and corporate bodies? How are you planning to deal with them?

Sir, these are some observations that I wished to make. I would request the hon. Minister to ponder over them and make necessary changes in the Bill.

श्री नरेश अग्रवाल: उपसभापति महोदय, अगर इस बिल को कल करना है, तो मैं कल ही बोलूंगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister come. ...*(Interruptions)*... Let the Minister respond. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, it was agreed that both the Bills will have to be done today by sitting in late hours. In between, Constitution Amendment Bill came and that consumed some time. Originally, this Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill was in the first list. We could have done it; we can finish it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The solution is that everybody should take less time.

श्री नरेश अग्रवाल: उपसभापति महोदय, इस नई परिभाषा की शुरुआत मुझसे ही न करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: इसलिए आप थोड़ा कम समय लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

SHRI RAM VILAS PASWAN: The sense of the House is that it should be taken up tomorrow. सर, आज संवैधानिक संशोधन बिल पास हो गया है, बहुत सारे लोग

[Shri Ram Vilas Paswan]

चले गए हैं। इस पर बहुत सारे सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं। यह बिल पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा यह आग्रह है कि इसको आज छोड़ दीजिए और कल लीजिए। इसको कल exact 12 बजे शुरू करवा दीजिए। When you were not in the Chair, I requested, at that time, that this Constitution (Amendment) Bill should be passed without discussion. हमने कहा कि इसमें दो घंटे का समय लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको दो मिनट में पास करते हैं। आपने देखा कि इसमें दो घंटे का समय लग गया। इसमें हम लोगों का क्या दोष है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको कल करा दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, इसको कल सुबह कर दें, तो ज्यादा अच्छा होगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप लोग जरा सुनिए ...**(व्यवधान)**... आप जरा सुनिए ...**(व्यवधान)**... As far as I know, the BAC has decided that this Bill should also be passed. ...*(Interruptions)*...

SHRI V.P. SINGH BADNORE: The House is supreme. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is correct. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, there is another very, very important Bill tomorrow, that is, the Company Law Bill. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: नरेश जी, आप बोलिए ...**(व्यवधान)**... Anyhow, let us proceed. ...*(Interruptions)*... नरेश जी, आप बोलिए ...**(व्यवधान)**... नहीं, नहीं आप बोलिए ...**(व्यवधान)**...

श्री तपन कुमार सेन (पश्चिमी बंगाल): सर, कोई कंपनी लॉ नहीं होगा ...**(व्यवधान)**... That was an understanding. ...*(Interruptions)*... नहीं, तो अभी भी नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is for tomorrow. ...*(Interruptions)*... That will be taken up tomorrow. ...*(Interruptions)*... Why do you worry? ...*(Interruptions)*... Even if the Government brings a Bill, it is for the House to pass it or not to pass it. ...*(Interruptions)*... So, don't worry. ...*(Interruptions)*... Why do you worry? ...*(Interruptions)*... It is in your hands. ...*(Interruptions)*... It is in your hands. ...*(Interruptions)*... Why do you worry? ...*(Interruptions)*... It is for the House to decide. ...*(Interruptions)*... Why do you worry? ...*(Interruptions)*... The BAC has decided that we will pass this Bill today. That is my understanding. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, जो हमारी जानकारी है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आप लोग बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, जो हमारी समझदारी है, वह यह है कि आज हाउस खत्म होने की बात थी। सरकार से आग्रह किया गया, तो हमने कहा कि कल भी काम करेंगे। फिर सरकार ने बैंकिंग लॉ की बात की, उसके लिए भी हम एग्री कर गए। On Company Law, I am sorry to say to the hon. Home Minister that the understanding is not there and Company Law is not coming tomorrow. We are committed that the Banking Law कल आएगा, अभी 6 बज रहे हैं। तो मेंबर्स लग रहा है कि अब 8-9 बजेंगे।

Sir, I have to say one more thing. I share the concerns of hon. Members, Shri Ram Vilas Paswan and others, that the Bill is there, but they articulate their concerns about this issue. They should be given time. There, I agree with them.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Natchiappan, please get the Parliamentary Affairs Minister here. Until then, Shri Naresh Agrawal can speak.

SHRI V.P. SINGH BADNORE: The House is supreme.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, but I have not yet put the question.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Please, put the question before the House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not put the question. ...*(Interruptions)*... Let us not waste time. Let Mr. Naresh Agrawal speak until the Parliamentary Affairs Minister comes. Then, we will decide. ...*(Interruptions)*... I have not yet put the question.

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभापति महोदय, आप नियमावली देख लें, बी.ए.सी. में जो भी तय हो, अगर चेयर कोई चीज बदलना चाहे तो पूरे सदन की सहमति ले। अगर सदन का रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो सदन की बात मानी जाती है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मेरे को मालूम है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: हम चाहते हैं कि इस पर बहस अच्छी हो। माननीय मंत्री जी, इसे सभी लोग पास करना चाहते हैं। लेकिन अगर नीयत अच्छी हो तो इसको कल कर लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: सुनिए, आप क्षमा कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI TIRUCHI SIVAA (Tamil Nadu): We don't go by BAC.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call the Parliamentary Affairs Minister and decide. Until then, you can speak.

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Natchiappan is still here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call the Parliamentary Affairs Minister. ...*(Interruptions)*... See, I have not put the question to the House.

DR. V. MAITREYAN: Please, put the question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will put the question, but let the Parliamentary Affairs Minister come. Till then, Mr. Naresh Agrawal can speak.

श्री नरेश अग्रवाल: नहीं, श्रीमन्, देखिए, यह उचित नहीं है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आएं उसके बाद यह प्रस्ताव हो कि कल हाऊस में यह बिल लाया जाए। मैं चाहूंगा कि हम कल शुरुआत करें। वह ज्यादा उचित होगा, न कि हम आज बोलें और फिर कल के लिए यह postpone हो जाए और कल इसकी शुरुआत हो। ...**(व्यवधान)**... मैं चाहूंगा कि प्रस्ताव कर लें, यह आपका अधिकार है। सारे सदन की इच्छा एक है। माननीय गृह मंत्री जी, अगर पूरा सदन ऐसा चाहता है तो आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस बिल को कल पास कराएंगे। फिर क्या दिक्कत है आपको? ...**(व्यवधान)**...

SHRI T.M. SELVAGANAPATHI (Tamil Nadu): You can put the question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Parliamentary Affairs Minister come.

श्री नरेश अग्रवाल: सर, वे राजी हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, I don't have information as to what exactly was discussed in the Business Advisory Committee. But, Sir, there were two views that whether we have to sit till late hours today and whether we have to meet tomorrow or not. That also was to be decided. But, it was decided that we would complete both the Bills today and that is the reason I have come here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, that is the decision, I think. Let Parliamentary Affairs Minister ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I must put the record straight. I am sorry to say to the hon. Home Minister, the decision was taken that tomorrow, the House will sit. Decision was taken that this would be taken up tomorrow, including the Constitution Amendment Bill. The Constitution Amendment Bill has been passed. Now, this Bill is going on. The Members only wish that the remaining speakers will need, at least, two hours including the Minister's reply. We are only making a request that do it tomorrow. That is how it stands. *...(Interruptions)...*

SHRI T.M. SELVAGANAPATHI: Please take the sense of the House. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, I will take the move. Why don't we wait till the Parliamentary Affairs Minister comes? *...(Interruptions)...*

The House is adjourned to meet tomorrow.

The House then adjourned at fifty-five minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 20th December, 2012.